संख्या-506/2017/1738/22-2-2016-17(360)/2016

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 30 जून, 2017***

विषय:- जिला कारागार, अलीगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामवीर पुत्र श्री तेजसिंह निवासी जनपद-अलीगढ़ की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-34885/प्रोबे0-5-दयायाचिका समिति की बैठक-05.09.2016 दिनांक 26.09.2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, अलीगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामवीर पुत्र श्री तेजसिंह, निवासी-ग्राम-नगला डांडा, थाना-पिसांवा, जनपद-अलीगढ़ का रहने वाला है। बन्दी द्वारा विधान सभा चुनाव की रंजिश को लेकर दिनांक 23.11.1989 को अपने 06 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाइसेंसी बन्दूक एवं देशी तमंचे से 02 व्यक्तियों की हत्या कर अपराध कारित किया गया है। उक्त अपराध के लिए बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-159/1990 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 307/149 के अन्तर्गत मा0 विशेष न्यायाधीश (ई0सी0एक्ट0), अलीगढ़ के आदेश दिनांक 12.06.1991 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 11.10.2007 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 27.08.2016 तक 08 वर्ष 05 माह 21 दिन की अपरिहार सजा तथा 11 वर्ष 01 माह 25 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। बन्दी के 03 अन्य सहअभियुक्त कारागार में सजा भुगत रहे हैं तथा 03 अन्य सहअभियुक्त कारागार से बाहर हैं। जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति एवं दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में की गई संस्तुति तथा सिद्धदोष बन्दी के जघन्य अपराध में सहअभियुक्त होने एवं 03 अन्य सहअभियुक्तों के कारागार में सजा भुगतने के दृष्टिगत सक्षम स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई का औचित्य नहीं पाया गया।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी रामवीर (बन्दी संख्या-180/08) पुत्र श्री तेजसिंह, निवासी-जनपद-अलीगढ़ की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-506/2017/1738/(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, अलीगढ़।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, अलीगढ़।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in